



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

15 अग्रहायण 1943 (श10)  
(सं0 पटना 997) पटना, सोमवार, 6 दिसम्बर 2021

---

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

6 दिसम्बर 2021

अधिसूचना संख्या 17/2021-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 165 दिनांक 6 दिसम्बर 2021—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या 17/2017-राज्य-कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 560, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

- उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैराग्राफ में,-
  - उपवाक्य (i) में, शब्दों "और मोटर साइकिल" के स्थान पर, शब्दों और प्रतीक", मोटर साइकिल, ओमनि बस या अन्य मोटर यान" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
  - उपवाक्य (iii) के बाद, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(iv) विशिष्ट परिसर में स्थित रेस्तरां, इटिंग ज्वाइंटस आदि द्वारा आपूर्ति की जाने वाली रेस्तरां सेवाओं के अलावा “रेस्तरां सेवा” की आपूर्ति।”

2. स्पष्टीकरण में,-

(1) मद (ख) में, शब्दों, प्रतीकों, अंकों और कोष्ठकों “और “मोटर साईकिल” का वही अर्थ होगा जो उनका क्रमशः मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (22), खंड (25) और (26) में है” के स्थान पर, प्रतीकों, शब्दों, अंकों और कोष्ठकों “मोटर साईकिल,” “मोटरयान” और “ओमनि बस” का वही अर्थ होगा जो मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के क्रमशः खंड (22), (25), (27), (28) और (29) में दिया गया है”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(2) मद (ख) के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(ग) “विशिष्ट परिसर” से अभिप्राय ऐसे परिसरों से है, जो ऐसे ‘होटल की व्यवस्था’ की सेवाएं प्रदान करते हैं जिनका ठहरने की एक इकाई का घोषित टैरिफ सात हजार पांच सौ रुपए प्रति इकाई प्रतिदिन से अधिक या समतुल्य हो।”

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-13)17 )]  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
डॉ० प्रतिमा,  
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

6 दिसम्बर 2021

एस० ओ० 165 दिनांक 6 दिसम्बर 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-13)17)]  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
डॉ० प्रतिमा,  
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

*The 6<sup>th</sup> December 2021*

S.O. 165 Dated 6<sup>th</sup> December 2021—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 9 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments further to amend the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 17/2017-State Tax (Rate), dated the 29<sup>th</sup> June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 560, dated the 29<sup>th</sup> June, 2017, namely:-

1. In the notification,-
  - (i) in clause (i), for the words “and motor cycle;”, the words “, motor cycle, omni bus or any other motor vehicle;” shall be substituted;
  - (ii) after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:-

“(iv) supply of restaurant service other than the services supplied by restaurant, eating joints etc. located at specified premises.”
2. In the said notification, in Explanation, -
  - (i) in item (b), for the words, brackets, numbers and figures “and “motor cycle” shall have the same meanings as assigned to them respectively in clauses (22), (25) and (26) of section 2 of the Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988).”, the words, brackets, numbers and figures, “, motor cycle, motor vehicle and omnibus shall have the same meanings as assigned to them respectively in clauses (22), (25), (27), (28) and (29) of section 2 of the Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988).” shall be substituted;
  - (ii) after item (b), the following shall be inserted namely, -

“(c) specified premises means premises providing hotel accommodation service having declared tariff of any unit of accommodation above seven thousand five hundred rupees per unit per day or equivalent.”
2. This notification shall come into force with effect from the 1<sup>st</sup> day of January, 2022.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-13) 17 )]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,**

**बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।**

**बिहार गजट (असाधारण) 997-571+10-डी0टी0पी0**

**Website: <http://egazette.bih.nic.in>**